



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
अम्बेडकर भवन जी, 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)0स्कॉलरशिप/रिस्टोर/सान्याअवि/2021/ 5876

जयपुर, दिनांक 10/05/23

आदेश

विभागीय ओदश क्रमांक 4009 दिनांक 19.09.2022 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित समय में आक्षेप पूर्ति नहीं किए जा सकने के कारण विद्यार्थी/संस्थानों के स्तर पर लम्बित छात्रवृत्ति आवेदनों को ऑटो रिजेक्ट किया गया था। उक्त छात्रवृत्ति आवेदनों में से रि-स्टोर योग्य 1515 आवेदनों (सूची संलग्न) को आक्षेप पूर्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर रि-ओपन किए जाने की एतत् द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हरि मोहन मीना )  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)0स्कॉलरशिप/रिस्टोर/सान्याअवि/2021/ 5877-86 जयपुर, दिनांक 10/05/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहाकार, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)/अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
6. उपनिदेशक(एसीपी), आईटी, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी को जनहित में प्रेस नोट जारी करवाने हेतु।
8. सहायक निदेशक(शिक्षा)/जि0प0एवंस0क0अधि0(छात्रवृत्ति), मुख्यावास।
9. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जि0प0एवंस0क0अधि0, सान्याअवि.....समस्त।
10. आदेश पत्रावली।

Signature valid

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
Digitally signed by Hari Mohan Meena  
Designation : Director  
Date: 2023.05.10 17:34:33 IST  
Reason: Approved